संख्या—2353 / सत्तर—1—08—20(4) / 2007

प्रेषक,

पी0 एन0 बाथम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

चेयरमैन,
तीर्थंकर महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, (सोसायटी)
दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग—1 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2008

विषयः— तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का संचालन प्रारम्भ के लिए प्राधिकार—पत्र।

महोदय,

तीर्थंकर महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, सोसायटी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का संचालन प्रारम्भ के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2008) की धारा—4 में विहित शर्तों को पूर्ण कर लिये जाने के आलोक में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा—5 में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। यह प्राधिकार पत्र शैक्षिक सत्र 2008—09 से मान्य होगा।

भवदीय,

14/9/08

(पी0 एन0 बाथम)
विशेष सचिव।